(12) (12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3572–एक/2013, विरूद्ध आदेश दिनांक 12–06–2013 पारित द्वारा न्यायालय सांईखेड़ा, जिला–नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण कमांक 05/अ–13/2008–09

हेमरामसिंह वल्द श्री हरिसिंह तोमर
निवासी– सांईखेड़ा, तह0 गाडरवारा
जिला–नरसिंहपुर, म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1– लाल साहब वल्द श्री निहालसिंह राजपूत
निवासी सांईखेड़ा, तह0 गाडरवारा
जिला–नरसिंहपुर, म0प्र0

2– श्रीमती पुष्पाबाई पति राममोहन सिंह राजपूत
निवासी–भीमाखेड़ी तह0 इटारसी
जिला–होशंगाबाद, म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 5/4/18 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा, 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार सांईखेड़ा, जिला–नरसिंहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–06–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नंबर 32 के स्थित खसरा नं0 172/9, 172/10, 172/15, का रकबा 1.417 है0, खसरा नंबर 179/1 रकबा 1.230 है0, खसरा नं0 179/4, रकबा 181/3 का रकबा 0.424 है0, खसरा नं0 121/1 रकबा 0.846 है0 कुल रकबा 3.917 है0 भूमि पर अनावेदकगण काबिजदार चले आ रहे है । खसरा नं0 179/4, रकबा 181/3 का रकबा 0.424 है0, जो कि आवेदक की भूमि खसरा नं0 209 रकबा 0.061 है0 भूमि के पश्चिम दिशा से लगा हुआ है, जिससे झिकोली सांईखेड़ा मार्ग निकालता है । उक्त मार्ग से अनावेदकगण का आना–जाना होता है । परन्तु अनावेदकगण, आवेदक के खेत के बीच से रास्ता चाहते है, इसी कारणवश उन्होंने आवेदक के विरूद्ध धारा 131 (1) के अतंर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । उक्त आवेदन पत्र पर, आवेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार सांईखेड़ा के समक्ष आपत्ति पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 5/अ–13/2008–09 में दर्ज किया गया । तहसीलदार सांईखेड़ा द्वारा दिनांक 12.06.2013 को प्रकरण स्थल निरीक्षण पर रखे जाने का आदेश दिया गया एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार की गई । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जब प्रकरण को सुनने का अधिकार नहीं है ऐसी परिस्थितियों में प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है तो न्यायालय को जब प्रकरण सुनने का अधिकार नहीं है तो ऐसे प्रकरण पर स्थल निरीक्षण पर जाना कानूनी प्रावधानों के विपरीत है । जब कोई प्रकरण कानूनी प्रावधानों के विपरीत हो तो ऐसा प्रकरण सुनने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया है कि जब प्रकरण को सुनने का अधिकार न्यायालय को नहीं हो तो ऐसे प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश पारित करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है । प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 08.05.2013 से स्पष्ट है कि आवेदक की अनुपस्थिति में आदेश पत्रिका लिखी गयी है परंतु उसके नीचे लिखने वाले के हस्ताक्षर नहीं है इससे स्पष्ट होता है कि आदेश पत्रिका जानबूझकर पिछली तारीख में लिखी गयी

है । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12–6–2013 द्वारा अनावेदक का धारा 32 का अंतरिम रास्ता देने के आवेदन पर निर्णय हेतु प्रकरण स्थल निरीक्षण हेतु रखा गया जिसको इस निगरानी में चुनौती दी गई । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वयं आवेदक ने दिनांक 29–11–10 को तहसीलदार के समक्ष आवेदन देकर अंतरिम आदेश से पूर्व स्थल निरीक्षण न होने की आपत्ति ली थी । स्पष्ट है कि उनकी आपत्ति को ध्यान में रखकर ही तहसीलदार द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण हेतु प्रकरण नियत किया गया है जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । आवेदक ने अन्य जो भी तर्क पेश किये हैं उनकी पुष्टि साक्ष्य से की जाकर प्रकरण के अंतिम निराकरण के वक्त अभी उन पर विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाले जाने हैं ।

6/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर